



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

ई-मेल/Mail : registrar@mgahv.in

क्रमांक : 003/2003/का.प.ग./10(1)/2019/Vol.-III/2487
दिनांक: 23/11/2023

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के परिनियम-12(1)(iii) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत माननीय कुलपति द्वारा प्रो. गोपाल कृष्ण ठाकुर, अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ को, चक्राधार पर वरिष्ठतानुक्रम में तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष के लिए कार्य-परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

यह अधिसूचना सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी की जाती है।

कादर नवाज
(कादर नवाज खान)
कुलसचिव
23/11/23

प्रति :

प्रो. गोपाल कृष्ण ठाकुर
अधिष्ठाता
शिक्षा विद्यापीठ
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

प्रतिलिपि :

1. माननीय कुलाधिपति, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. निदेशक, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. संयुक्त सचिव (के.वि.), शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
6. श्री विजय कुमार, अवर सचिव, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद के समस्त सदस्यगण
8. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
9. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशक/प्रभारी
10. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
11. वित्ताधिकारी कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
12. लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
13. रक्षित पत्रावली।